कार्यालयः–जिला स्वास्थ्य समिति, लातेहार।

Sadar Hospital Campus, Latehar. E Mail ID: drhslatehar3@gmail.com.

पत्रांक 367 / दिनांक 08/04/2023

प्रेषक,

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
लातेहार।

सेवा में,

जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी,
लातेहार।

विषय :– जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) लातेहार के विज्ञापन संख्या 02/2023(DMFT) का प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि जिला लातेहार के अंतर्गत नवनिर्मित गैर सृजित स्वास्थ्य संस्थानों एवं नव प्रस्तावित कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन हेतु ए0एन0एम0 एवं अन्य पारामेडिकल कर्मियों का संविदा के अधार पर आवश्यकता आधारित रिक्त पदों पर DMFT के तहत नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करनें हेतु उपायुक्त महोदय लातेहार के अनुमोदनोपरांत विज्ञापन का प्रकाशन समाचार पत्रों में की जानी है। विज्ञापन से संबद्ध सूचना के प्रकाशन का प्रारूप साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी इस पत्र के साथ संलग्न कर आपको उपलब्ध कराई जा रही है।

अतः अनुरोध है कि इसे दैनिक समाचार पत्रों के स्थानीय एवं राष्ट्रीय संस्करणों में कम से कम दो अग्रेंजी एवं दो हिन्दी समाचार संस्करणों में इसे प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रकाशन का विषय से संबंधित प्रारूप की साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं है।

संलग्नकः– विज्ञापन प्रकाशन प्रारूप का
साफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी।

विश्वासभाजन

7/4/23

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
लातेहार।

ज्ञापांक 367 / लातेहार, दिनांक 08/04/2023.

प्रतिलिपि :– जिला सूचना पदाधिकारी (DIO) लातेहार को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञापन को लातेहार जिले के वेबसाईट पर अपलोड/प्रदर्शित करानें की कृपा की जाए।

प्रतिलिपि :– उपायुक्त लातेहार–सह–अध्यक्ष जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट लातेहार को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

07/4/23

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
लातेहार।

कार्यालयः—जिला स्वास्थ्य समिति, लातेहार।

Sadar Hospital Campus, Latehar. E Mail ID: drhslatehar3@gmail.com.

जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) लातेहार के अंतर्गत जिले के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यकता आधारित पद के विरूद्ध संविदा/अनुबंध आधारित पारा कर्मियों एवं अन्य प्रखण्ड/जिला स्तरीय पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु विज्ञापन।

विज्ञापन सं0–02/2023 (DMFT) **आवेदन की अंतिम तिथि–03.05.2023**

जिला लातेहार के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, नवनिर्मित गैर सृजित स्वास्थ्य संस्थानों एवं नवप्रस्तावित कुपोषण उपचार केन्द्रों के संचालन हेतु ए0एन0एम0 एवं अन्य पारामेडिकल कर्मियों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए **अनुबंध/संविदा के आधार पर औपबंधिक एवं अस्थायी रूप** से आवश्यकता आधारित नीचे अंकित पारा कर्मी एवं अन्य प्रखण्ड तथा जिला स्तरीय पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु **निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट** के माध्यम से झारखण्ड राज्य के स्थानीय उम्मिदवारों से निम्नवत् रूप से आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है :–

01. जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) लातेहार के अधीन आवश्यकता आधारित (संविदा/अनुबंध) पदों का विवरण निम्नवत् है:–

आवश्यकता आधारित पदों पर संविदा/अनुबंध के आधार पर सीधी नियुक्ति।

क्र0	पदनाम	आवश्यकता आधारित कोटिवार कुल रिक्ति				
		अनारक्षित	आ0क0व0	अ0जा0	अज0जा0	कुल
1	ए0एन0एम0	21	5	10	15	51
2	स्टाफ नर्स	11	2	4	9	26
3	ड्रेसर	1	0	0	1	2
4	प्रयोगशाला प्रावैधिक	5	1	1	4	11
5	फर्मासिस्ट	9	2	3	8	22
6	एम0टी0सी0 न्युट्रीशियन काउंसलर	3	0	1	1	5
7	एम0पी0डब्लु	6	1	2	5	14

नोटः–रिक्तयों की संख्या में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता है।

02. **आयु सीमा –**: आयु सीमा का निर्धारण **Cut off Date- 31.03.2023** से कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प 609 दिनांक 25.01.2016 के आलोक में निम्नवत गणना की जायेगी:–

क्र0	कोटि	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	दिव्यांगजनों के लिए अधिकतम आयु सीमा
01	सामान्य (आ0क0व0 सहित)	18 वर्ष	35 वर्ष	40 वर्ष
02	महिला–सामान्य		38 वर्ष	43 वर्ष
03	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)		40 वर्ष	45 वर्ष

नोटः– लातेहार जिले के लिए निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को आरक्षित श्रेणी में नहीं रखे जानें की स्थिति में ये सामान्य कोटि के अंतर्गत माने जायेंगें।

03. **आवेदन शुल्क**—: **आवेदन के लिये कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।**

04. **चयन की शर्तें:—**

01. **आवेदन पत्र मात्र निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के द्वारा ही स्वीकार्य होगा।**
नियुक्ति होनें वाले कर्मियों का नियोजन नहीं होगा बल्कि, संविदा के आधार पर स्वीकृत मानदेय के विरूद्ध उन्हें कार्य करनें हेतु अनुबंधित किया जायेगा। यह नियुक्ति बिलकुल आवश्यकता आधारित एवं अस्थायी है। किसी भी समय निधि की अनुपलब्धता/आवश्यकता नहीं रहनें पर सेवा समाप्त की जा सकती।

02. आवेदक को अभ्यावेदन के साथ इस आशय का न्यूनतम 10 रू0 के ननजुडिश्यिल स्टॉम्प पेपर पर Indemnity Bond संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे संविदा/अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के उपरांत नियमित नियुक्ति का दावा नही करेंगें।

03. अनुबंध एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगी, आवश्यकतानुसार इसे एक—एक साल में **Attendance/ Performance** के आधार पर विस्तारित जा सकेगी। अनुबंध विस्तार के संबंध में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) लातेहार के दिशा निर्देश का अनुपालन करना होगा।

04. कार्य संतोषप्रद नहीं रहनें पर एक माह की नोटिस/एक माह का अग्रिम मानदेय देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है।

05. जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिंए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत करेंगें वे मार्क शीट के साथ CGPA रूपान्तरण चार्ट (Conversion Chart) भी संलग्न करेंगें।

06. आवेदक को अपनें आवेदन के साथ सभी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाण पत्रों की स्व—अभिप्रमाणित छाया प्रति (दो अतिरिक्त पासपोर्ट साईज फोटो सहित) संलग्न करना होगा। साथ ही, आवेदन के साथ 25/— रूपये का डाक टिकट सहित एक सादा लिफाफा जिस पर पत्राचार का पता अंकित होगा, संलग्न करना अनिवार्य होगा।

07. नियुक्ति प्रक्रिया में **जिला चयन समिति, लातेहार** का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

08. चयन समिति द्वारा आवश्यकतानुसार विज्ञापन की शर्तों में संशोधन/विज्ञापन रद्द करनें का शक्ति सुरक्षित रहेगा।

09. नियुक्ति के संबंध में किसी प्रकार का व्यक्तिगत पत्राचार/सम्पर्क मान्य नहीं होगा।

10. रिक्तियों के विरूद्ध चयन/नियुक्ति के क्रम में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखण्ड के द्वारा लातेहार जिला के परिचारित/निर्धारित आरक्षण रोस्टर का अनुपालन किया जायेगा। **सीधी नियुक्ति पद में सर्वप्रथम अनारक्षित कोटि के पद मेधा सूची अनुसार पूर्ण किये जायेंगें। इसके उपरांत ही आरक्षित कोटि के पद मेधा सुची अनुसार भरे जायेंगें।**

11. आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के अध्यधीन आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी "आय एवं सम्पति प्रमाण—पत्र" प्रस्तुत कर प्राप्त किया जा सकेगा। आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के वर्ग के सदस्य के रूप में अभ्यर्थी के दावे का प्रमाण स्वरूप विहित प्रपत्र (परिशिट—VI) में उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी/अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आय एवं सम्पति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

12. जातिगत आरक्षण का लाभ हेतु अद्यतन तक संबंधित सक्षम विभागों के स्तर से निर्गत संकल्प/अधिसूचना के आलोक में सक्षम प्राधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

13. सरकार द्वारा आरक्षण हेतु निर्गत दिशा निर्देश के अनुरूप चयन हेतु प्रकाशित विज्ञापन में अंकित रिक्त पदों पर देय क्षैतिज आरक्षण प्रभावी होगा।

14. आवेदक के द्वारा आवेदन में दी गई जानकारी/आवेदन के साथ संलग्न प्रमाण पत्र गलत/फर्जी पाये जानें पर किसी भी स्तर पर आवेदक की उम्मिदवारी रद्द की जा सकती है एवं संबंधित आवेदक के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है।

15. आवेदक एक से अधिक पदों पर आवेदन समर्पित करनें के लिए आवेदक को अलग–अलग आवेदन पत्र संलग्न करना होगा एवं एक से अधिक पद पर आवेदन समर्पित करनें की स्थिति में आवेदन पत्र में इसका उल्लेख करना अनिवार्य होगा।

5. चयन की प्रक्रिया :–

1. अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक/तकनिकी योग्यता/कार्यानुभव के आधार पर की जाएगी। जिसका निर्धारण जिला चयन समिति के निर्णयानुसार किया जाएगा। मेधा सूची/चयन सूची के निर्धारण में संशोधन का अधिकार जिला चयन समिति को सुरक्षित होगा।

2. अनुभव प्रमाण पत्र मात्र सरकारी/मान्यता प्राप्त चिकित्सीय संस्थानों से संबद्ध निर्गत कार्यानुभव प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अभ्यर्थी जिस संस्था के अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करेंगें उस संस्था का उक्त कार्यावधि का Salary Slip एवं Bank Statement अवश्य रूप से संलग्न करेंगें, अन्यथा अनुभव की गणना नहीं की जायेगी।

3. अंतिम रूप से तैयार की गई चयन/प्रतीक्षा सूची सिविल सर्जन कार्यालय/उप विकास आयुक्त लातेहार/उपायुक्त लातेहार के कार्यालय सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जाएगी। आवश्यकतानुसार एतद सूचना समाचार पत्र/लातेहार जिले के वेबसाईट पर भी दी जाएगी।

6. आवेदन पत्र प्रेषित करनें हेतु पत्राचार का पता :–

- **असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी लातेहार।**
  सदर अस्पताल परिसर, लातेहार (झारखण्ड) पिन नं0–829206

- **आवेदक सभी तरह से पूर्ण आवेदन को बंद लिफाफे में निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट के माध्यम उपर्युक्त पते पर प्रेषित कर सकते हैं। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन पत्र प्रेषित करनें/जमा करनें पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या एवं आवेदित पद नाम अंकित करना होगा। आवेदित पद की जानकारी अंकित नहीं करनें पर संबंधित आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।**

7. Essential/Desired Qualification, Experience & Remuneration:

Sl No	Name of the Post	Essential/Desired Qualification & Experience	Remuneration (Per Month)
01	ANMs	• 10+2 or equivalent examination & Should have completed ANM course from institution recognized by govt. and approved by INC. • Registered under Jharkhand nursing council. • 02 Year Experience after passing of ANM course	Rs.11,466/-
02	Staff Nurse	• 10+2 or Intermediate with 3 years of General Nursing & Midwifery Training form govt. Recognized institution. • Registered under Jharkhand state Nursing council. • 02 Year Experience after passing of Staff Nurse course	Rs.16,564/-
03	Dresser	• Matriculation + 01 Year Degree/Diploma in Dresser from Govt. Recognized institute with two Year of Experience in Relevant field after passing Dresser Course. • Registered under Jharkhand Paramedical council.	Rs 10450/-
04	Lab Tech	• 10+2 or intermediate and Diploma in Lab Technician from Govt. recognized Institute with two year of experience in relevant field after passing LT Course. • Registered under Jharkhand Paramedical council	Rs.15,661/-
05	Pharmacist	• Degree/Diploma in Pharmacy • 02 Year Experience in managing drug store in a reputed hospital/health centre after passing of Pharmacy course. • Registered under Jharkhand Paramedical council.	Rs.10450/-
06	MTC Nutrition Counselors	• Master's/Bachelor's degree in food and nutrition/Home Science (Hons/Pass) • 01 Year work experience in Health sector/relevant field. • Basic Compute Skills. Those related to MS office • Good Data management skills. **Desirable:** • Would be given preference to female candidate • Fluency in local languages-both written and spoken • Ability work in a team	Rs.12375/-
07	MPW (Multi Purpose Worker)	• 10+2/Intermediate with Science • 01 Year work experience in Health sector/relevant field. • Post only for Male candidate • Candidate must have Driving License to drive two Wheeler bikes/scooty.	15123/-

- ❖ मासिक मानदेय/परिलब्धि का निर्धारण औपबंधिक है। चयन/नियुक्ति उपरांत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) लातेहार द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित मासिक मानदेय/परिलब्धि का भुगतान देय होगा।
- ❖ मासिक मानदेय/परिलब्धि की वृद्धि हेतु जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT) लातेहार के द्वारा लिया गया निर्णय मान्य होगा। चयनित पदों पर स्वास्थ्य विभाग/अन्य विभाग के स्तर से निर्धारित मानदेय का भुगतान का दावा मान्य नहीं होगा।

नोटः— विज्ञापन में अंकित पद/रिक्ति, शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हताएँ, चयन की शर्तें, प्रक्रियाओं, आदि के संबंध में यदि किन्हीं को कोई आपत्ति हो तो विज्ञापन प्रकाशन के 05 कार्यदिवस के दिन अपनी आपत्ति लिखित रूप में निम्न प्रपत्र में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दे सकते हैं:—

आपत्ति का बिन्दु	आपत्ति के संदर्भ साक्ष्य/स्त्रोत/आधार	आपत्ति निराकरण के संदर्भ आपत्तिकर्ता का मंतव्य/सुझाव (साक्ष्य/स्त्रोत/आधार)

07/4/23

असैनिक शल्य चिकित्सक सह
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
लातेहार।

अध्यक्ष (DMFT) के आदेशानुसार

उप विकास आयुक्त—सह—सचिव
जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (DMFT)
लातेहार।

जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट लातेहार अंतर्गत विज्ञापन संख्या 02/2022 (DMFT) के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन से संबद्ध पदो के लिए आवेदन प्रपत्र।

स्व–अभिप्रमाणित फोटो

सेवा में ,

असैनिक शल्य चिकित्सक, सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, लातेहार।

1. आवेदित पद का नाम ....
2. एक से अधिक पद पर आवेदन समर्पित कर हैं तो दूसरे पद का नाम :– ....
3. आवेदक का नाम ....
4. पिता/पति का नाम..
5. जन्म तिथि ....
6. फोन नं0/ईमेल ....
7. स्थायी पता ....
8. पत्राचार का पता ....

8 **शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:–**
(सभी योग्यताओं के प्रमाण पत्र का स्व–अभिप्रमााणित प्रति अवश्य संलग्न करें)

शैक्षणिक/तकनीकी परीक्षा/योग्यता का नाम	उर्तीणता का वर्ष	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	कुल अंक	प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत

9. **कार्य अनुभव (यदि कोई हो तो) :–**
क. हाल के कार्य अनुभव से शुरूआत करते हुए सभी अनुभव को दर्ज करें ।
ख. कृपया सवयंसेवक (Volunteer) के कार्य को कार्य अनुभव में न लिखें , यह मान्य नहीं होगा ।
ग. सारे कार्य अनुभवों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें।

पद का नाम	संस्थान का नाम	अनुभव (तिथि अंकित करें)		कुल कार्यानुभव	संबंधित कार्य विवरणी
		कब से	कब तक		

10. श्रेणी (सामान्य/आ0क0व0/अ0ज0जा0/अजा0)....................................
(आरक्षण लाभ हेतु सक्षम पदाधिकारी के स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें)

11. स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र का विवरण:– प्रमाण पत्र सं0..............................निर्गत तिथि–.................... जिला–....................

12. शारीरिक रूप से दिव्यांग ....
(सिविल सर्जन स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करें ।)

उपरोक्त सभी सूचनायें मेरी जानकार में सही है। किसी भी स्तर पर दी गई सूचनायें गलत पाए जाने पर मेरी उममीदवारी रद्द की जा सकती है ।

तिथि ....

स्थान ....

आवेदक का पूर्ण हस्ताक्षर

परिशिष्ट–(VI)

Government of Jharkhand

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS

Date

Certificate No. ....

....

Valid for the Year ....

This is certify that Shri/Smt./ Kumari .... son/daughter/wife of .... permanent resident of .... village/street .... post office .... District .... in the State/Union Territory Economically Weaker Section, since the gross annual income* of his/her family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year .... His/Her family does not own or possess any of the following assets***.

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari .... belongs to the .... caste which is not recognized as a Scheduled Castes, Scheduled Tribe and OBC/ EBC-I/BC-II.

Recent Passport size attested Photograph of the applicant

Signature with seal of office ....

Name ....

Designation ....

---

*Note: 1. Income covered all sources i.e. salary, business, profession, etc.

**Note: 2. The term "Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note: 3. The property held by a "Family" in different places/ cities have been clubbed while applying the land or property holding tests to determine EWS status.